संख्याः 1829 / आठ–1–9–29के0डी0ए0 / 09

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास विकास परिषद,
   उ0प्र0लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2009**

विषयः **उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / विकसित की जा रही आवासीय / व्यवसायिक योजनाओं में फायर अग्निशमन केन्द्र, थानों एवं चौकियों व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1077(1) / आठ–1–07–231डी0ए0 / 06 दिनांक 30.11.2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गयी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं में मानक के अनुरूप अग्निशमन केन्द्र, थानों एवं चौकी हेतु अनावासी / आवासीय भवनों के लिये समुचित भूमि गृह विभाग को हस्तगत की जायेगी एवं अग्निशमन केन्द्र, थानों एवं चौकियों हेतु आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिये मानक के अनुरूप भवनों को निर्मित कर गृह विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में पूर्व विकसित योजनाओं में अग्निशमन केन्द्र आदि हेतु भूमि उपलब्ध है तो उसे निःशुल्क गृह विभाग उपलब्ध कराया जाय, परन्तु उक्त भूमि पर निर्माण सम्बन्धित विभाग को अपने श्रोतों से कराना होगा ।

कृपया तदनुसार अनुपालन करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. प्रमुख सचिव मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय, चतुर्थ/पंचम तल इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
7. निदेशक (अनुश्रवण), आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को सूचित करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
अनुसचिव